

an>

Title: Issue regarding the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (Amendment) Bill, 2015.

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: मैडम, यह बहुत ही गंभीर मामला है और महत्वपूर्ण कानून है। इस कानून को, जो वर्ष 2013 में बना हुआ कानून था, फिर वर्ष 2014 में आप कानून लाए... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : एक मिनट, आप पीछे तो जाइए।

â€¦ (व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : आप जो आर्डिनेंस लाए हैं, यह जन-विरोधी है और किसानों के विरोध में है... (व्यवधान) हम यह चाहते थे कि आर्डिनेंस के बजाए अगर कंसल्ट करके इसे लाते तो बात और होती, लेकिन उन्होंने बुलडोज करके, ऑर्डिनेंस लाकर, फिर यहाँ पर हमारे पूछने के बावजूद भी, आपके थू रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी उसे इंद्रोड्यूज किया और इसको इंद्रोड्यूज करने के बाद आज फिर उसे कंसीडरेशन में लाने की कोशिश कर रहे हैं। यह अच्छी बात नहीं है। हम इसका विरोध करते हैं और ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए... (व्यवधान) सलेवट कमेटी को भेजो, ऐसा भी नहीं हुआ... (व्यवधान) स्टैंडिंग कमेटी को भेजो, वह भी नहीं हुआ... (व्यवधान) यह जो गवर्नमेंट का ऐटिट्यूट है, बुलडोज करने का, इसके खिलाफ आज किसान वहाँ आन्दोलन कर रहे हैं... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपकी बात हो गई। आप चाहते क्या हैं?

â€¦ (व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : यह किसान विरोधी बिल है। आज बाहर भी ऐजिटेशन चल रहा है, हर जगह ऐजिटेशन चल रहा है। आप भी इसके फेवर में हैं... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : ये सब बातें हो गई हैं।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: इसके बावजूद भी सरकार अड़ी है। वे जो चाहते हैं, वही करते हैं। उनका यह ऐटिट्यूट ठीक नहीं है। इसीलिए हम वाक आउट करते हैं।

12.19 hrs

Shri Mallikarjun Kharge and some other hon. Members then left the House.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU : The Government has to say something. ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं हर किसी को बोलने नहीं दूँगी।

â€¦ (व्यवधान)

श्री एम. वैकैर्या नायडू : महोदया, मेरा आपके माध्यम से सदन से अनुरोध है... (व्यवधान) ऐसा नहीं होगा... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : एक तो आप वेल में खड़े रहते हैं और फिर भी आप चाहते हैं कि मैं आपके नेताओं को बोलने दूँ।

â€¦ (व्यवधान)

HON. SPEAKER: I am sorry. This is not the thing. No, I am sorry.

...(Interruptions)

श्री एम. वैकैर्या नायडू : आप हंगामा भी करेंगे और भाषण भी करेंगे... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : धर्मेन्द्र जी, दोनों बातें नहीं होती हैं।

â€¦ (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : यह क्या तरीका है?

â€¦ (व्यवधान)

श्री एम. वैकैर्या नायडू : महोदया, एक पद्धति है... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप लोग अपनी सीट पर भी नहीं जाते हैं और यहाँ खड़े होकर बोलते रहते हैं। आप वाक आउट भी करेंगे, यहाँ खड़े भी रहेंगे, ऐसा नहीं होता है। यह पद्धति नहीं है।

â€¦ (व्यवधान)

HON. SPEAKER: I am sorry.

â€¦ (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : नेता जी, पहले तो यह बात गलत है।

â€¦ (व्यवधान)

श्री एम. वैकैर्या नायडू : महोदया, मेरी सदन से विनती है... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : नहीं, अब मैं किसी को अलाऊ नहीं करूँगी।

â€¦ (व्यवधान)

श्री एम. वैकैर्या नायडू : महोदया, पहले तो सदन को ऑर्डर में लाना है। मैं विपक्ष से पार्थना कर रहा हूँ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : यह क्या है?

â€¦(व्यवधान)

श्री एम. वेंकैया नायडू : आप कृपया जनता के आदेश को स्वीकार कीजिए। कृपया बैठिए, बाद में इसको अपोज करना है तो अपोज कीजिए।... (व्यवधान) मेरा उसी में एक प्वाइंट है। वे लोग कुछ भी बोल सकते हैं।

They can speak whatever they want! My point is, the Government is within its right. Madam, minority cannot dictate to majority. This is bulldozing. We are not bulldozing anything. We want discussion, debate and decision. They do not want anything, they want to dictate. ऐसा नहीं चलेगा। ... (व्यवधान)

12.20 hrs

Shri Mulayam Singh Yadav, Shri Bhagwant Mann and some other hon. Members then left the House.

SHRI M. VENKAIHA NAIDU : In June 2014, representatives of 32 State Governments and Union Territories met at Vigyan Bhavan and made a representation that the Land Acquisition Act passed by the UPA Government makes development impossible. They said it. They said that the Act passed by the earlier Government made any development impossible. They said that this Act excludes farmers from the development process, prevents improvement of their lives, and also delays critical compensation process for the same.

Madam, we have been under a regime for last 50 to 60 years. We have a Land Revenue Act and we have seen the state of land acquisition. I myself was an MLA. Section 4 and Section 6 took away the rights of the farmers. That had gone on for fifty years. After the Parliament collectively discussed the issue certain changes were brought. After the changes, in 2011 the Chief Minister of Maharashtra had written a letter to Jairam Ramesh opposing the Act. A Congress Chief Minister wrote a letter to the Rural Development Minister opposing the Act as regards giving fair compensation. Then Maharashtra Government on August 2014 eventually lowered the compensation from four times of market value to 2.2 times. कांग्रेस सरकार ने महाराष्ट्र में कंपनरेशन कम किया है। अभी आकर हमें प्रवचन दे रहे हैं। इसलिए मेरा कहना है कि इसमें किसी को कोई आपत्ति है तो बहस के दौरान चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है, मगर आरोप करना और राजनीति करना देश के हित में नहीं है, किसान के हित में नहीं है। हमारी सरकार किसान के हित को सबसे ज्यादा प्राथमिकता देने वाली है। यह सरकार किसान अनुकूल सरकार है। वे लोग जो कर रहे हैं, वह किसान विरोधी काम कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि वे लोग चर्चा में भाग लें और अपना वक्तव्य और जो प्वाइंट्स हैं, वह सदन के सामने रखें और सदन के इस अधिवेशन में इस पर चर्चा करके इसको पास कराएँ।

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): We have already notified the rules.

माननीय अध्यक्ष : अभी हम चर्चा नहीं कर रहे हैं।

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : That is why when this Bill is coming we are opposed to two sections of the amendment, not the whole amendment. We are opposed to two sections of the amendment where social impact assessment is being done away with and consent clause is being deleted. Our concern is that the rules have already been framed in our state. .

HON. SPEAKER: I know.

SHRI M. VENKAIHA NAIDU: We are willing to discuss all those points, Madam. We are going to discuss all those.

माननीय अध्यक्ष : महताब जी, आपने अपनी बात रख दी है, वह रिकार्ड पर है। इस विषय पर अब और कोई डिसकशन नहीं करेंगे।

12.24 hrs

Shri Bhartruhari Mahtab and some other hon. Members then left the House.